न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 197/2014 **दायरा दिनांक : 02.12.2014**

उनवान

1– प्रदीप कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री शांतीलाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी 5–डी–12 महावीर नगर तृतीत, कोटा

2– श्रीमती अमिता पुत्री स्वर्गीय श्री शांतीलाल जी, पत्नी श्री प्रकाश चन्द जी, जाति ब्राहमण, निवासी चन्द्रपुर महाराष्ट्र

3– धनुष पुत्र प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती वृन्दा पत्नी श्री प्रदीप कुमार जी, जाति ब्राहमण, निवासी 5–डी–12 महावीर नगर तृतीत, कोटा

4– श्रेया पुत्री प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती वृन्दा पत्नी श्री प्रदीष कुमार जी, जाति ब्राहमण, निवासी 5–डी–12 महावीर नगर तृतीत, कोटा

5– सोम्या पुत्री प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती वृन्दा पत्नी श्री प्रदीष कुमार जी, जाति ब्राहमण, निवासी 5–डी–12 महावीर नगर तृतीत, कोटा

6– श्रीमती रतनी बाई ब्रेवा श्री शांतिलाल, जाति ब्राहमण, निवासी 5–डी–12 महावीर नगर तृतीत, कोटा .... अपीलांट

बनाम

1– नरेन्द्र कुमार पुत्र देवीशंकर जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम पाटोन्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा .... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 94/2014 निर्णय दिनांक 25.11.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 नरेन्द्र कुमार ने अपीलांटगण के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बालाखेडा, तहसील अन्ता में कुल 34 किता की 32.69 हेक्टर आराजी स्थित है । यह आराजी पक्षकारान की पैतृक है जिसका बंटवारा पूर्वजों के समय में कर लिया गया था और राजीनामे के आधार पर अंतिम डिक्री उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा मिसल नम्बर 164/70 दिनांक 29.05.70 को जारी की गई थी । बंटवारे के अनुसार पूर्व खसरा नम्बर 237 रकबा 33 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 285 रकबा 16 बीघा प्रार्थी के हिस्से में आयी, जिस पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहा, परन्तु पूर्व वाद में वादिनी जो कि प्रतिवादी नम्बर 6 है उसने डिक्री की इजराय नहीं करवायी । जमाबंदी में अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 का नाम दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाकर वो कब्जा करने पर आमादा है । प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है । यदि अप्रार्थी ने आराजी को खुर्द बुर्द कर दिया अथवा प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीयक्षति होगी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेन न करें । आराजी को रहन बेचान न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अपने निर्णय दिनांक 25.11.2014 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है और आराजी पर वैधानिक रूप से काबिज काश्त है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 का इसमें हक एवं अधिकार नहीं है और न ही उसका अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है खातेदार कृषक काबिज काश्त के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अंतिम निर्णय मौके की यथास्थिति के बाबत पारित नहीं किया जा सकता है । कब्जे के बाबत स्पष्ट फाईडिंग दिया जाना आवश्यक होता है । निर्णय स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आती है । पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री अवधि बाधित है एवं प्रभावहीन है उसका कोई महत्व नहीं है । प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति अपीलांट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी पेश कर कुछ दस्तावेज रेकार्ड पर लेने की प्रार्थना की । ये दस्तावेज पूर्व में पारित डिक्री की फोटो प्रति, इकरारनामे की नोटेरी द्वारा प्रमाणित प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रसीदात लगान की नोटेरी से प्रमाणित प्रतियां हैं । इस प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलांटगण द्वारा दिया गया और यह कथन किया गया कि दस्तावेज छाया प्रतियां है जिनको रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता । लगान की रसीदे जो पेश की गई है वो रेस्पोडेंट के कब्जे में शुरू से ही है । पूर्व में प्रस्तुत नहीं करने का कारण नहीं बताया है । रसीदात लगान में खसरा नम्बर अंकित नहीं है । ये विवादित आराजी से सम्बन्धित नहीं है । अपीलांट की फोटो का दुरूपयोग किया है । अपीलांट के द्वारा

कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये ।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षीय बहस पर मनन किया और पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । न्यायालय के निर्णय की डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई है, प्रमाणित प्रति नहीं है । इकरारनामे को अपील की स्टेज पर रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये पंजीकृत नहीं है और इसको अपील की स्टेज पर प्रमाणित किया जाना संभव नहीं है, शेष दस्तावेजात में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रसीद लगान है । यहा यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट के द्वारा जो न्यायालय के निर्णय की डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई है वह पूर्व में ही पत्रावली पर सलंग्न है उसे पुनः पेश किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय के निर्णय की डिक्री की फोटो प्रति और इकरारनामे के अलावा शेष दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है । तद्नुसार प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर पेश किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र और रसीद लगान की प्रतियों को रेकार्ड पर लेने की अनुमति दी जाती है ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक और काबिज काश्तकार है जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के बारे में कोई फाईडिंग नहीं की है स्पीकिंग आदेश नहीं है । पूर्व की डिक्री अवधि बाधित है जिसके आधार पर कोई सहायता रेस्पोडेंट को नहीं दी जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1985 पेज 30, आर आर डी 1991 पेज 231, आर आर टी 2010 (1)

पेज 149, आर एल डब्ल्यू 2013 (1) आर जे पेज 432, आर आर टी 2015 (1) पेज 634, आर आर टी 2014 (1) पेज 523, आर आर टी 2013 (1) पेज 123, ए आई आर 2010 एस सी पेज 296 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि आराजी पैतृक है जिसको अपीलांट भी स्वीकार करते हैं । आराजी का आपसी राजीनामे से विभाजन हो गया था और विभाजन की डिक्री की प्रति रेस्पोडेंट ने पेश की है । इस विभाजन की डिक्री की इजराय नहीं करवायी गयी । इजराय की मियाद 12 वर्ष होती है परन्तु इजराय नहीं कराये जाने के बावजूद डिक्री अपनी जगह पर मौजूद है । डिक्री की कोई समय सीमा नहीं होती है । रेस्पोडेंट परिवार का सदस्य है कोई अजनबी क्रेता नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश दिया है जो विधि अनुकूल है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2014 (1) पेज 692, आर आर डी 2005 पेज 49, आर आर टी 2002 पेज 356, आर आर टी 2003 (1) पेज 373, आर आर टी 2005 (1) पेज 106 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी कुल 34 किता की 32.69 हेक्टर अपीलांटगण के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बारां सलंग्न है, फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 1992 भी सलंग्न है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.11.59 भी सलंग्न है । कुछ लगान की रसीदात की फोटो प्रतियां भी सलंग्न की गई हैं ।

पत्रावली पर जो फोटो प्रति नकल जमाबंदी खाता संख्या 205 पुराना 188 सलंग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 34 किता की 32.69 हेक्टर आराजी अपीलांटगण के संयुक्त खाते में दर्ज है । रेस्पोडेंटगण प्रार्थी का मुख्य कथन वादग्रस्त आराजी पैतृक थी और जिसके बाबत विभाजन की डिक्री उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित की गई थी जिसके अनुसार उनका साबिक खसरा नम्बर 237 रकबा 33 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 285 रकबा 16 बीघा प्राप्त हुई थी जिस पर वो काबिज है । एक डिक्री की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है परन्तु वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में अपीलांट अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है इस डिक्री का पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकार पर क्या प्रभाव पडेगा यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा इस स्टेज पर नहीं ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने अपील में जो एक नकल जमाबंदी सम्वत 2036–39 पेश की है उसमें वादग्रस्त आराजी कुल 24 किता की 233 बीघा 4 बिस्वा शांतिलाल पुत्र जुगल किशोर के तन्हा खाते में दर्ज है और अपीलांटगण शांतिलाल के वारिसान हैं । रेस्पोडेंट ने कुछ रसीदात लगान पेश की है जिनमे से सिंचाई विभाग की रसीद संख्या 302 दिनांक 22.06.2012 में खतौनी संख्या 165, 131 अंकित है और रसीद संख्या 332 में खतौनी संख्या 159 अंकित है । इसी प्रकार रसीद संख्या 563 में खतौनी संख्या 156 अंकित है । रसीद संख्या 1055 सिंचाई विभाग की खतौनी सवंख्या 151 अंकित है शेष रसीदात में ढालबाछ की क्रम संख्या अंकित है । खसरा नम्बर अंकित नहीं है और पत्रावली पर जो जमाबंदी की नकल सलंग्न है उसमें खतौनी संख्या नयी 205 पुरानी 188 वादग्रस्त आराजी का अंकित है जो इन नम्बरों से मेल नहीं खाते हैं । इस प्रकार रेस्पोडेंट प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा सिद्ध करने में भी सफल नहीं हो पाये हैं । रेस्पोडेंट के द्वारा न्यायालय के डिक्री की जो फोटो प्रति

पेश की है उसका पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व पर क्या प्रभाव पडेगा यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा इस स्टेज पर नहीं । वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के खाते में दर्ज है और खातेदार कृषक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते हैं । आर एल डब्ल्यू 2013 (1) राजस्थान पेज 432, आर आर टी 2015 (1) पेज 634 यहां चस्पा होती है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखने के आदेश दिये हैं । जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कब्जे के बारे में स्पष्ट फाईडिंग देते हुए स्पष्ट आदेश दिया जाना आवश्यक होता है । आर आर डी 1985 पेज 30, आर आर डी 1991 पेज 231, आर आर डी 2010 (1) पेज 149 भी यहां चस्पा होती है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2014 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा